Local Fund Audit Department Rajasthan

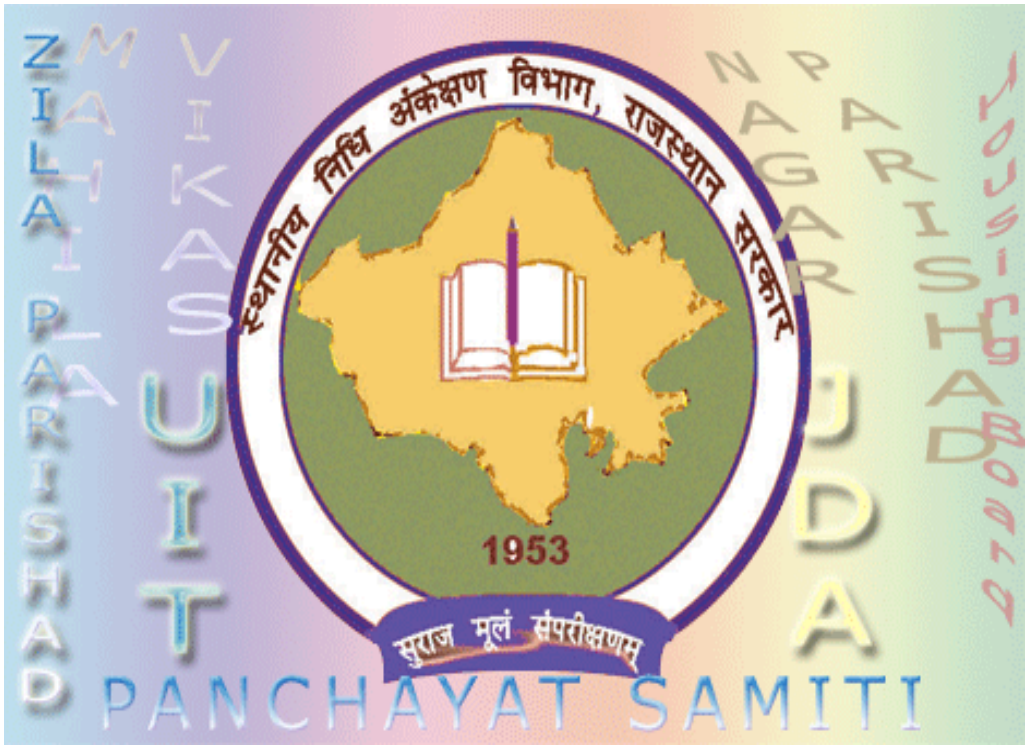

विभाग का प्रशासनिक संगठन

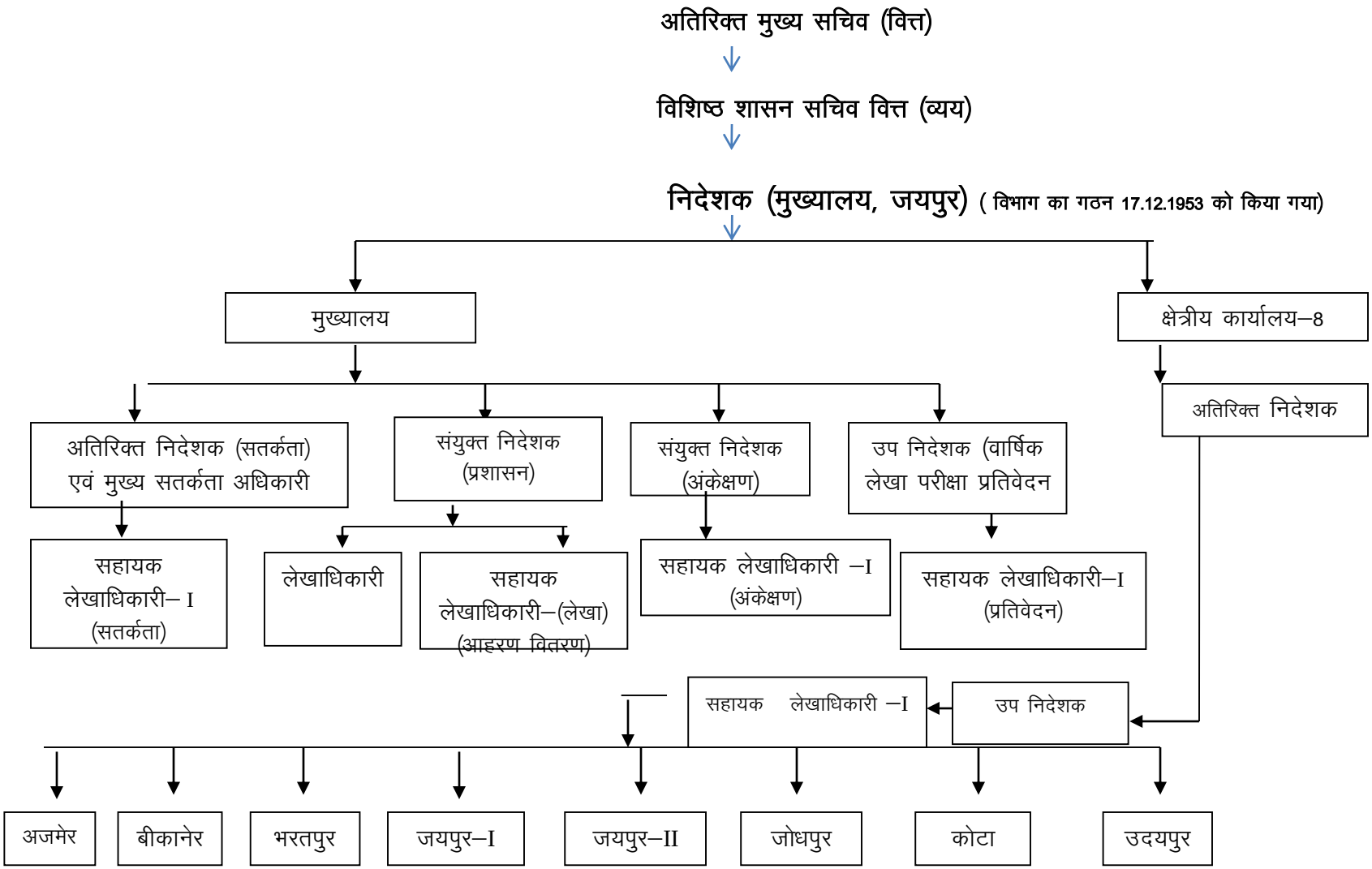

क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार

क्र.सं.	कार्यालय	क्षेत्राधिकार (जिले)	अंकेक्षण की जाने वाली संस्थाओं की संख्या	स्वीकृत अंकेक्षण दल	31.12.17 को कार्यरत अंकेक्षण दल	रिक्त
1	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर–प्रथम फोन नं. 0141–2740223 Email Address: lfad-jpr1-rj@nic.in	(i) जयपुर (ii) सीकर	986	21	10	11
2	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर–द्वितीय फोन नं. 0141–2740703 Email Address: lfad-jpr2-rj@nic.in	(i) दौसा (ii) झुंझुनूं (iii) अलवर	1129	18	10	8
3	क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर फोन नं. 0145–2627792 Email Address: lfad-ajm-rj@nic.in	(i) अजमेर(ii) भीलवाड़ा (iii) नागौर (iv) टोंक	1478	29	5	24
4	क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर फोन नं. 0291–2650364 Email Address: lfad-jod-rj@nic.in	(i) जोधपुर(ii) पाली (iii) जैसलमेर (iv) बाड़मेर(v) सिरोही (vi) जालौर	1991	26	10	16
5	क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर फोन नं. 0151–2542354 Email Address: lfad-bik-rj@nic.in	(i) बीकानेर (ii) चुरू(iii) श्रीगंगानगर (iv) हनुमानगढ़	1251	23	9	14
6	क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा फोन नं. 0744–2322210 Email Address: lfad-kot-rj@nic.in	(i) कोटा (ii) बारां (iii) बूँदी (iv) झालावाड़	895	16	6	10
7	क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर फोन नं. 0294–2494230 Email Address: lfad-uda-rj@nic.in	(i) उदयपुर ii) चित्तौड़गढ(iii) राजसमन्द (iv) डूँगरपुर (v) बाँसवाड़ा(vi) प्रतापगढ़	1971	26	7	19
8	क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर फोन नं. 05644–224075 Email Address: lfad-bha-rj@nic.in	(i) भरतपुर (ii) धौलपुर (iii) सवाईमाधोपुर (iv) करौली	1045	17	6	11
9	मुख्यालय			2	0	2
योग			**10746**	**178**	**63**	**115**

मोनिटरिंग की व्यवस्था

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा जारी अंकेक्षण प्रतिवेदनों एवं अंकेक्षण आक्षेपों के निस्तारण/अनुश्रवण हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश संख्या प. 6(7)प्रसु/अनु–3 दिनांक 10.3.2000 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 12.10.2001 एवं दिनांक 05.02.2002 के द्वारा निम्नलिखित विभागों के लिए स्थाई ऑडिट समितियों का गठन किया गया है :–

1. स्थानीय निकाय विभाग
2. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
3. पंचायती राज विभाग
4. कृषि विभाग
5. महिला एवं बाल विकास विभाग

राज्य स्तरीय विभागीय ऑडिट कमेटी

विभागीय राज्य स्तरीय समितियों की संरचना निम्न प्रकार है :–

अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव /शासन सचिव	अध्यक्ष
संबंधित विभागाध्यक्ष	सदस्य
संयुक्त शासन सचिव वित्त (अंकेक्षण)	सदस्य
वित्तीय सलाहकार/मु0लेखाधिकारी/व0 लेखाधिकारी (विभाग/संस्था में पदस्थापित लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग	सदस्य सचिव

संभाग स्तरीय समिति का गठन

संभाग स्तर पर ऑडिट प्रतिवेदनों के निरस्तारण हेतु निम्न समिति गठित है :–

1	संभागीय आयुक्त	अध्यक्ष
2	संभाग के समस्त जिला कलेक्टर	सदस्य
3	निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग अथवा उनके द्वारा मनोनीत मुख्यालय के प्रतिनिधि जो संयुक्त निदेशक स्तर से कम न हो	सदस्य
4	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपनिदेशक स्तर से कम न हो	सदस्य
5	निदेशक, कृषि विपणन विभाग या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपनिदेशक स्तर से कम न हो	सदस्य
6	निदेशक, पंचायती राज विभाग या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपायुक्त स्तर से कम न हो	सदस्य
7	निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपनिदेशक स्तर से कम न हो	सदस्य
8	प्रशासक कृषि विपणन मण्डल या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो अधीक्षण अभियंता स्तर से कम न हो	सदस्य
9	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपायुक्त स्तर से कम न हो	सदस्य
10	संबंधित अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय समिति

जिला स्तर पर इस विभाग के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना का अनुश्रवण करने हेतु निम्न अधिकारियों की समिति गठित है :–

1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2	निदेशक, पंचायती राज विभाग या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपायुक्त स्तर से कम न हो	सदस्य
3	क्षेत्रीय सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य
4	प्रशासक कृषि विपणन मण्डल या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो अधिशाषी अभियंता स्तर से कम न हो	सदस्य
5	निदेशक, कृषि विपणन विभाग या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपनिदेशक स्तर से कम न हो	सदस्य
6	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपायुक्त स्तर से कम न हो	सदस्य
7	निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उपनिदेशक स्तर से कम न हो	सदस्य
8	संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग	सदस्य सचिव

अंकेक्षण दल

1. लेखाधिकारी– प्रभारी अधिकारी

कनिष्ठ लेखाकार –सदस्य

वरिष्ठ सहायक–सदस्य

2. सहायक लेखाधिकारी प्रथम – प्रभारी अधिकारी

कनिष्ठ लेखाकार –सदस्य

वरिष्ठ सहायक–सदस्य

लेखा प्रमाणीकरण

- 14 वें केन्द्रीय वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार
- निष्पादन अनुदान (Performance Grant)

  ग्राम पंचायत– 10 प्रतिशत

  नगरीय स्थानीय निकायों – 20 प्रतिशत
- अवधि – 01 मई से 30 जून
- वार्षिक लेखा प्रमाणीकरण कार्य मे यह सुनिश्चित किया जावे कि संस्था द्वारा रोकड पुस्तिका एवं लेखें पूर्ण रूप से संधारित है। जांच दल द्वारा उक्त अभिलेखों की जांच कर क्रमशः अन्तिम शेष से चालू वर्ष के प्रारम्भिक शेष का मिलान वार्षिक आय–व्यय के विवरण के योगों की जांच संस्था के खाताबही के मदवार आय–व्यय का मिलान करकें इसके उपरान्त प्रमाण पत्र प्रारूप 'अ' तथा खाताबही के अभाव मे लेखों का सशर्त प्रमाण पत्र प्रारूप 'ब' मे जारी किया जायेगा। जिसकी एक–एक प्रति संम्बन्धित संस्था, नियंत्रण अधिकारी, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय एवं मुख्यालय को दी जायेगी।

वार्षिक लेखों के प्रमाणिकरण हेतु देय समय

संस्था का नाम	प्रमाण–पत्र प्रारूप 'अ' मे जारी करने की स्थिति	प्रमाण–पत्र प्रारूप 'ब' मे जारी करने की स्थिति
पंचायत समिति	दो कार्य दिवस प्रति जांच दल	एक कार्य दिवस प्रति जांच दल
ग्राम पंचायतें	तीन ग्राम पंचायतें प्रति जांच दल प्रतिकार्य दिवस	छः ग्राम पंचायतें प्रति जांच दल प्रतिकार्य दिवस
नगर पालिका/ नगर परिषद	दो कार्य दिवस प्रति जांच दल	एक कार्य दिवस प्रति जांच दल
नगर निगम	तीन कार्य दिवस प्रति जांच दल	दो कार्य दिवस प्रति जांच दल

संशोधित

प्रारूप 'अ'

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वितीय (राज.)

वार्षिक लेखों का सशर्त प्रमाणीकरण

(फनंसपपिमक ब्मतजपपिबंजपवद वि।बबवनदजे)

(राजस्थान लोकल फण्ड ऑडिट एक्ट 1954 व राजस्थान लोकल फण्ड ऑडिट नियम 1955 के नियम 23 व 25 के अन्तर्गत)

अंकेक्षण दल संख्या ..... द्वारा .....(संस्था का नाम) के वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान वर्ष 20.....–..... के लेखों का प्रमाणीकरण संस्था की रोकड पुस्तिका एवं अन्य मूल अभिलेखों के आधार पर अंकेक्षण किया गया।

(।) अंकेक्षण वर्ष की समाप्ति पर दिनांक 31.03..... को संस्था की प्राप्तियों का योग रू. ..... तथा भुगतानों का योग रू. ..... रहा। संस्था का वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान विवरण वर्ष ..... संलग्न है। संस्था का वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान का अंतिम शेष राशि .....

(।।) संस्था के विनियोग लेखे (स्वीकृत बजट) वर्ष ..... के अनुसार भुगतान की गई राशियॉ उसी मद के लिये उपयोग में लाई गई है। जिस मद हेतु उसको सक्षम संस्था ..... द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रति संलग्न है। वित्तीय वर्ष से संबंधित स्वीकृत बजट में बचत/आधिक्य के कारण .....

(विस्तृत विवरण आक्षेप में अंकित है।)

(।।।) संस्था द्वारा वर्ष के दौरान सामान्य रूप से लेखा जोखा ठीक प्रकार से संधारित किया गया है तथा यह संस्था के वित्तीय व्यवहारों को संतोषजनक सही रूप से प्रकट करता है। अंकेक्षण के दौरान देखी गई कमियों/त्रुटियों/वार्षिक लेखों में राशियों में अंतर एवं अंतिम शेष रहने के संबंध में अंकेक्षण प्रतिवेदन में आक्षेप अंकित किया गया।

हस्ताक्षर प्रभारी अंकेक्षण दल

नाम

पद

संशोधित

प्रारूप 'ब'

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वितीय (राज.)

वार्षिक लेखों का सशर्त प्रमाणीकरण

(Qualified Certification of Accounts)

(राजस्थान लोकल फण्ड ऑडिट एक्ट 1954 व राजस्थान लोकल फण्ड ऑडिट नियम 1955 के नियम 23 व 25 के अन्तर्गत)

अंकेक्षण दल संख्या ..... द्वारा ..... के वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान वर्ष 20.....–..... के लेखों का प्रमाणीकरण संस्था की रोकड पुस्तिका एवं अन्य मूल अभिलेखों के आधार पर प्रमाणीकरण किया गया।

(।) अंकेक्षण वर्ष की समाप्ति पर निम्न विवरणानुसार संस्था की प्राप्तियां एवं भुगतान रहे :–

वर्ष 20.....–... दिनांक ..... को प्राप्तियों का योग रू.

वर्ष 20.....–..... दिनांक ..... को भुगतानों का योग रू.

संस्था का वार्षिक प्राप्ति एंव भुगतान का अंतिम शेष राशि रू.

उपरोक्त प्राप्तियों एवं भुगतानों से संबंधित सभी रसीदों एवं वाउचर्स के आधार पर रोकड पुस्तिका की शत प्रतिशत जांच की गई। सभी प्रविष्ठियॉ सही पाई गई/निम्न अंकन सही नहीं पाये गये –

संस्था का वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान विवरण वर्ष 20.....–..... संलग्न है।

(।।) संस्था द्वारा निम्न लेखा पुस्तिका प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।

.....

उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में प्राप्तियों एवं भुगतानों का मदवार विवरण प्रमाणित नहीं किया जा सका है।

(।।।) संस्था द्वारा स्वीकृत बजट एवं व्यय की गई राशि के ब्यौरे का प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर परीक्षण किया गया जिसपर टिप्पणी निम्न प्रकार है :–

बिन्दु (1) में उल्लेखित प्राप्तियों एवं भुगतान के मदवार ब्यौरो का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः यह प्रमाणित करना संभव नहीं है कि भुगतान की गई राशिंया उसी मद में उपयोग में लाई गई है जिस मद हेतु उनको सक्षम संस्था ..... द्वारा स्वीकृत किया गया है।

हस्ताक्षर प्रभारी अंकेक्षण दल

नाम

पद

अंकेक्षण–शुल्क

- स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा स्वायत्तशाषी संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर अंकेक्षण शुल्क वसूल किया जाता है। वित्त विभाग की आज्ञा दिनांक 01.08.2011 द्वारा अंकेक्षण वर्ष 2011–12 से निम्नानुसार अंकेक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है :–

क्र.सं.	संस्था का नाम	अंकेक्षण शुल्क की दरें
1	जिला परिषद	रू. 10,000/–प्रतिवर्ष प्रति जिला परिषद
2	पंचायत समिति	रू.24,000/–प्रतिवर्ष प्रति पंचायत समिति
3	ग्राम पंचायत	रू. 3000/–प्रतिदिन प्रति ग्राम पंचायत प्रति जाँचदल
4	इन्दिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान	रू. 3000/–प्रतिदिन प्रति जाँचदल
5	जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण	रू. 3000/–प्रतिदिन प्रति जाँचदल
6	नगर पालिकायें/परिषदें/निगम	रू. 3000/–प्रतिदिन प्रति जाँचदल
7	आवासन मण्डल/अधीनस्थ कार्यालय	रू. 3000/–प्रतिदिन प्रति जाँचदल
8	नगर विकास न्यास	रू. 3000/–प्रतिदिन प्रति जाँचदल
9	आवास विकास संस्थान	रू. 3000/–प्रतिदिन प्रति जाँचदल
10	कृषि विपणन बोर्ड	रू. 3000/–प्रतिदिन प्रति जाँचदल
11	कृषि उपज मण्डी समिति	रू. 3000/–प्रतिदिन प्रति जाँचदल
12	जिला महिला विकास अभिकरण	रू. 3000/–प्रतिदिन प्रति जाँचदल
13	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की विभिन्न योजनाऐं	रू. 3000/–प्रतिदिन प्रति जाँचदल
14	शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न अकादमियाँ	रू. 3000/–प्रतिदिन प्रति जाँचदल
15	अन्य स्थानीय निकाय/संस्था	रू. 3000/–प्रतिदिन प्रति जाँचदल

वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्रांक प.10(10)वित्त/अंकेक्षण/98 जयपुर दिनांक 02.06.2016 से पंचायतीराज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं हेतु निर्धारित अंकेक्षण शुल्क वसूली की दरों का लेखा प्रमाणीकरण व अंकेक्षण कार्य हेतु विभाजन करने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की गई है :–

क्र. सं.	संस्था का नाम	अंकेक्षण तथा लेखों का प्रमाणीकरण एक साथ होने की स्थिति में इस विभाग की आज्ञा दिनांक 01.08.2011 के अनुसार अंकेक्षण शुल्क (राशि रू.)	अंकेक्षण कार्य तथा लेखों का प्रमाणीकरण अलग होने की स्थिति में	
			प्रमाणीकरण कार्य हेतु आनुपातिक अंकेक्षण शुल्क (राशि रू.)	अंकेक्षण शुल्क
1	2	3	4	5 (3–4)
1	पंचायत समितियाँ	24,000/– प्रति वर्ष प्रति पंचायत समिति	2000/– प्रति पंचायत समिति प्रति वर्ष	22000/– प्रति वर्ष प्रति पंचायत समिति
2	ग्राम पंचायत	3000/– प्रति दिन प्रति ग्राम पंचायत	500/– प्रति दिन प्रति ग्राम पंचायत	2500/– प्रति ग्राम पंचायत प्रति दिन
3	नगर पालिका/परिषदें/निगम	3000/– प्रति दिन प्रति जाँच दल	3000/– प्रति दिन प्रति जाँच दल	कुल स्वीकृत कार्य दिवसों में से प्रमाणीकरण कार्य हेतु उपभोग किये गये कार्य दिवसों को घटाकर शेष कार्य दिवसों के लिए 3000/– प्रति दिन प्रति जाँच दल

अंकेक्षण प्रक्रिया

अंकेक्षण का विधायी स्वरूप/उद्देश्य :–

❖ राज0 स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954 की धारा 5 व 6 एवं राज0 स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम 1955 के नियम 3 एवं 4 के अन्तर्गत संस्था के लेखों का वार्षिक अंकेक्षण किया जाता है। संस्था को अधिनियम की धारा 10 एवं नियम 28 के अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन जारी होने की तिथि से 03 माह में अनुपालना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

❖ **अंकेक्षण का उद्देश्य** संस्था के आय–व्यय के लेखों संधारित मूल अभिलेखों, रोकड पुस्तिकाएं, रसीद बुके, वाउचर्स प्रमाण पत्रों इत्यादि की/विभागीय नियमों एवं वित्तीय एवं लेख सिद्वान्तों के अनुसार जांच करना एवं वार्षिक लेखा प्रमाणित कर पायी गई कमियों/अनियमिततओं सें संस्था तथा नियंत्रित अधिकारी को अवगत कराना है।

❖विभाग का मुख्य कार्य पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, कृषि उपज मंडी समितियों आदि संस्थाओं का वार्षिक अंकेक्षण करना है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा **अधिनियम 1954 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की हुई है।**

राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कर किसी अन्य संस्था की विशेष जाँच भी करायी जा सकती है।

❖**विभाग का अंकेक्षण वर्ष 1 जून से प्रारम्भ हो कर 31 मई को समाप्त होता है।** अंकेक्षण वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व ही अंकेक्षणाधीन संस्थाओं का अंकेक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अंकेक्षण दलों का गठन किया जाता है। सामान्यतः 15 मई से पूर्व संस्थावार/अंकेक्षण दलवार अंकेक्षण कार्यक्रम जारी किया जाता है, जिसकी पूर्व सूचना सम्बन्धित संस्था को भी भेजी जाती है।

❖अंकेक्षण दलों द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम 1954 एवं इसके अन्तर्गत जारी स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम 1955 के अनुसार अंकेक्षण किया जाता है। अंकेक्षण दलों के निर्देशन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर आडिट निर्देश भी जारी किये जाते हैं।

अंकेक्षण प्रक्रिया

- **अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अंकेक्षण दल द्वारा संस्था को आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश देने** तथा वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में धारा 7 में अभियोग प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। अभियोग प्रस्तुत करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी के नियंत्रक अधिकारी से विभाग द्वारा स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है।
- **संस्थाओं के अंकेक्षण समाप्ति के 3 माह में अंकेक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाने की व्यवस्था है।** राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 की धारा–10 एवं राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम, 1955 के नियम–28 के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा **जारी अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन जारी होने के तीन माह में प्राप्त होना अपेक्षित है।**
- प्रतिवेदनों में दर्शाई गई गंभीर अनियमितताओं के संबंध में **अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के तहत सरचार्ज/चार्ज/अन्य राशि** वसूली सम्बन्धी कार्यवाही करने हेतु सिफारिश सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है ताकि संस्थाओं को वित्तीय हानि पहुँचाने वाले एवं अन्य अनियमितता करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व कार्यवाही की जा सके।
- सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा समय – समय पर अंकेक्षण दलों का उनके कार्यरत रहने के दौरान **आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है।**
- अंकेक्षण दलों के विरूद्ध शिकायतों आदि के संबंध में **निदेशालय के सतर्कता अनुभाग** द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है एवं अंकेक्षण दलों का औचक निरीक्षण भी किया जाता है।

संस्थाओं के अंकेक्षण/भौतिक सत्यापन हेतु निर्धारित कार्य दिवस/मानव दिवस

क्र. सं.	स्वायत्तशाषी संस्थाओं का वर्ग	कार्य दिवस पूर्व के		वर्तमान में संशोधित कार्य दिवस	
		सामान्य	भौतिक सत्यापन	सामान्य	भोतिक सत्यापन
1	जयपुर विकास प्राधिकरण	93	45	76	37
2	नगर सुधार न्यास	53	24	43	20
3	राजस्थान आवासन मण्डल (खण्ड कार्यालय)	20	3	16	2
4	राजस्थान आवासन मण्डल (वृत्त कार्यालय)	20	2	16	2
5	राजस्थान आवासन मण्डल (मुख्य कार्यालय)	50	15	33	12
6	कृषि विपणन बोर्ड (खण्ड कार्यालय)	20	5	16	4
7	कृषि विपणन बोर्ड (वृत्त कार्यालय)	8	3	7	2
8	कृषि विपणन बोर्ड (मुख्य कार्यालय)	20	10	16	8
9	नगर निगम (जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर)	80	40	65	33
10	नगर परिषद	40	10	33	8

संस्थाओं के अंकेक्षण/भौतिक सत्यापन हेतु निर्धारित कार्य दिवस/मानव दिवस

क्र.सं.	स्वायत्तशाषी संस्थाओं का वर्ग	कार्य दिवस पूर्व के		वर्तमान में संशोधित कार्य दिवस	
		सामान्य	भौतिक सत्यापन	सामान्य	भोतिक सत्यापन
11	नगर पालिकायें				
	(i) द्वितीय श्रेणी	20	7	16	6
	(ii) तृतीय श्रेणी	10	4	8	3
	(iii) चतुर्थ श्रेणी	10	4	8	3
12	कृषि उपज मंडी समितियॉ				
	क. विशिष्ट श्रेणी	20	5	16	4
	ख. 'अ' श्रेणी	17	3	14	2
	ग. 'बी' श्रेणी	13	3	11	2
	घ. 'सी' श्रेणी	10	3	8	2
	ड. 'डी' श्रेणी	6	2	5	2
13	जिला परिषद	5	2	4	2
14	पंचायत समिति	10	3	11	2
	ग्राम पंचायत टिप्पणी– 50 लाख रूपये तक 1 कार्य दिवस तथा अगले प्रत्येक 50 लाख रूपये अथवा उसके अंश के लिये एक अतिरिक्त मानव दिवस देय होगा।	1 प्रति ग्रा.प. प्रतिवर्ष	–	1	–
15	महिला विकास अभिकरण प्रति वर्ष	2	–	2	–
16	अन्य संस्थाऐं–अति./संयुक्त निदेशक अपने स्वविवेक से संस्था के कार्य का दृष्टिगत रखते हुये कार्य दिवस/मानव दिवस आवंटन करें।				
17	राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा फण्ड				
	विशिष्ठ श्रेणी	20	–	16	–
	अन्य कोषालय	10	–	8	–
18	देवस्थान व मुख्यमंत्री अकाल बाड सहायता कोष अति./संयुक्त निदेशक अपने स्वविवेक से कार्य दिवस आवंटित करें।				

अंकेक्षण में सामान्यतः पाई जाने वाली अनियमितताऐं/कमियाँः–

संस्थावार गंभीर अनियमितताओं के कुछ उदाहरण निम्नानुसार है :–

पंचायतीराज संस्थाएँ

- संस्था द्वारा परिसम्पत्तियों के रजिस्टर का संधारण नहीं करना।
- विभिन्न योजनाओं की राशि अवरूद्ध करना एवं इन योजनाओं की निधियों के उपयोग का अभाव।
- बंद/समाप्त हो चुकी योजनाओं की राशि सम्बन्धित को लौटाने का अभाव।
- योजनाओं में आवंटित राशि से अधिक व्यय करना।
- पी.डी. खाता, बैंक खाता तथा रोकड़ बही के शेषों से मिलान का अभाव।
- स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक व्यय करना।
- उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी करने का अभाव।
- अग्रिम राशि का समायोजन/वसूली नहीं होना।
- संस्था की परिसम्पत्तियों को किराये पर दिये जाने में अनियमितता एवं किराये की वसूली का अभाव।
- शिक्षा उपकर की राशि वसूली का अभाव एवं संस्था कोष में जमा कराने का अभाव।
- पंचायतों द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 141,143,156 आदि के अन्तर्गत भू–आवंटन में अनियमितता से हानि।
- पंचायत/पंचायत समिति द्वारा सामग्री क्रय/निर्माण कार्यो में अनियमितताऐं।
- राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के विभिन्न प्रावधानों के विपरीत राशि आहरित कर कैशबुक में जमा न कर गबन।
- कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि/राज्य बीमा की राशि संबंधित खातों में जमा कराने का अभाव।

स्थानीय निकाय विभाग

- संस्था द्वारा परिसम्पत्तियों के रजिस्टर का संधारण नहीं करना।
- स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक व्यय करना।
- रोड कटिंग/गृहकर/नगरीय कर की वसूली का अभाव।
- संस्था की परिसम्पत्तियों के किराये की नियमित वसूली का अभाव।
- भूमि विक्रय/खांचा भूमि विक्रय आदि में अनियमितताऐं।
- भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में अनियमितताऐं।
- विभिन्न ठेकेदारों/ कर्मचारियों/ संस्था को दी गई अग्रिम राशि के समायोजन/वसूली का अभाव।
- संस्था द्वारा शहरी जमाबंदी (लीज) राशि की बकाया एवं नियमित वसूली का अभाव।
- लीज अवधि समाप्ति के पश्चात् संशोधित लीज डीड सम्पादित नहीं करना एवं लीज राशि वसूली का अभाव।

जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण एवं नगर सुधार न्यास

- पट्टा रजिस्टर एवं इससे सम्बन्धित पत्रावलियों के संधारण का अभाव।
- लीज राशि सम्बन्धी रजिस्टर संधारण का अभाव/ लीज राशि की बकाया एवं नियमित वसूली का अभाव।
- परिसम्पत्तियों के किराया वसूली का अभाव।
- भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में अनियमितताऐं, गलत दर से शुल्क एवं लीज की गणना करने से हानि।
- भू–खण्ड नीलामी के प्रकरणों में आवंटी से पेनल्टी एवं ब्याज राशि वसूली का अभाव।
- परिधीय विकास शुल्क/बाह्य शुल्क की गणना गलत दर से करने से हानि।
- निर्धारित अवधि के पश्चात् लीज समाप्ति के बावजूद लीज डीड संशोधित नहीं करने एवं लीज राशि वसूली का अभाव।
- अग्रिम राशि के समायोजन/वसूली का अभाव।

आवासन मंडल

- लीज राशि सम्बन्धी रजिस्टर के संधारण का अभाव/लीज राशि की नियमित बकाया वसूली का अभाव।
- संवेदकों के साथ किये गये अनुबंध की शर्त संख्या 2 के तहत पेनल्टी वसूल नहीं कर स्वविवेक से पेनल्टी लगाने के कारण संवेदकों को अनुचित लाभ पहुँचाना।
- निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले खनिजों की रॉयल्टी वसूली का अभाव।
- निर्मित मकानों/परिसम्पत्ति के निस्तारण के अभाव में भारी राशि का अवरूद्ध होना।
- किराया क्रय पद्धति पर आवंटित मकानों के आवंटियों से बकाया/नियमित वसूली का अभाव।

कृषि उपज मण्डी समितियाँ

- दुकानों, गोदामों के किराया वसूली का अभाव।
- व्यापारियों द्वारा टीनशैडों का किराया नहीं देना।
- मण्डियों में निर्मित दुकानों आदि का आवंटन नहीं होना।

आक्षेप

अंकेक्षण दलों द्वारा अंकेक्षण के दौरान पाई गयी अनियमितताओं पर आक्षेपों का गठन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं। आक्षेपों में गंभीर प्रकृति की अनियमितताओं एवं गबन संबंधी आक्षेपों का समावेश भी होता है। ऐसे आक्षेपों पर पृथक से विभागाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष का ध्यान आकर्षित कर आवश्यक कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करने हेतु लिखा जाता है।

गंभीर अनियमितताओं के आधार पर विभाग द्वारा प्रारूप प्रालेखों 'अ' व 'ब' श्रेणी का गठन किया जाता है। विभाग द्वारा तय किए मापदण्डों (परिशिष्ठ''अ'') के अनुसार 'अ' श्रेणी प्रारूप प्रालेख का गठन निदेशालय द्वारा तथा 'ब' श्रेणी प्रारूप प्रालेख का गठन क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है। इस प्रकार निम्न प्रकार के आक्षेपों का गठन किया जाता हैः–

1. सामान्य आक्षेप
2. गम्भीर अनियमितता सम्बन्धी प्रारूप प्रालेख ''अ'' श्रेणी
3. अनियमितता संबंधी प्रारूप प्रालेख ''ब'' श्रेणी
4. गबन सम्बन्धी आक्षेप

बैंक से राशि आहरित कर रोकड़ पुस्तिका में इन्द्राज नहीं करना, राजस्व प्राप्तियों का रोकड़ पुस्तिकाओं में इन्द्राज नहीं करना, बिना वाऊचर के व्यय पक्ष में इन्द्राज कर राशि का अपहरण, रोकड़ पुस्तिका वाऊचर आदि में अंकगणितीय, योगात्मक एवं शेष को आगे कम दर्ज कर राशि का अपहरण करना, भण्ड़ार के सामान कम दर्शाये जाने को गबन की श्रेणी में माना जाता है।

अंकेक्षण के दौरान ऐसे प्रकरण ध्यान में आने पर संस्था को निर्धारित प्रपत्र (एल.ए.ड़ी.–4) अंकेक्षण दल द्वारा जारी किया जाता है। अंकेक्षण समाप्ति तक अनुपालना प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण को अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर गबन प्रकरण का एल.ए.ड़ी.–44 जारी कर संस्था प्रधान, नियंत्रण अधिकारी एवं निदेशालय के ध्यान में लाया जाता है। राशि 50,000/– रूपये तक के गबन प्रकरणों की मोनिटरिंग क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से तथा रू.50,000/– से अधिक के गबन प्रकरणों की मोनिटरिंग निदेशालय स्तर से की जाती है।

गम्भीरतम प्रालेखों के मापदण्ड

क्र. सं.	आक्षेप/अनियमितता का विवरण	मापदण्ड	
		"ब" श्रेणी	"अ" श्रेणी
1	विभिन्न प्रकार के क्रय संबंधी मामलों में पाई गई वित्तीय अनियमितता एवं अन्य अनियमितताओं के मामलों में स्पष्ट हानि	हानि की राशि रू 1.00 लाख से रू 5.00 लाख तक	हानि की राशि रू 5.00 लाख से अधिक
2	अनियमित नियुक्ति संबंधी प्रकरण	–	समस्त प्रकरण
3	निर्माण कार्यों में निष्फल व्यय	निष्फल व्यय राशि रू 5.00 लाख से रू 25.00 लाख तक	निष्फल व्यय राशि रू 25.00 लाख से अधिक
4	निर्माण कार्यो में धारा 2 व 3 के प्रकरणों व अन्य प्रकरणों में वसूली	राशि रू 1.00 लाख से रू 5.00 लाख तक	राशि रू 5.00 लाख से अधिक
5	मूल्यांकन से अधिक व्यय के मामलों में वसूली राशि	राशि रू 1.00 लाख से रू 5.00 लाख तक	राशि रू 5.00 लाख से अधिक
6	अन्य समस्त वसूली/हानि संबंधी प्रकरण	राशि रू 1.00 लाख से रू 5.00 लाख तक	राशि रू 5.00 लाख से अधिक
7	भूमि विक्रय/आवंटन संबंधी मामलों में पायी गई अनियमितताओं के कारण हानिः– (I) बाजार दर से कम दर पर विक्रय/ आवंटन (II) व्यावसायिक भूमि का आवासीय दर पर विक्रय/आवंटन (III) स्ट्रीप आफ लैण्ड को न्यूनतम दर पर बेचना अथवा अनियमित आवंटन करना (IV)नीलामी राशि जमा नहीं कराने पर आवंटन निरस्त करने का अभाव/राशि देरी से जमा कराने पर ब्याज वसूली का अभाव	हानि राशि रू 2.00 लाख से रू 5.00 लाख तक	हानि राशि रू 5.00 लाख से अधिक
8	भू–उपयोग परिवर्तन, भू–रूपान्तण/ नियमन के प्रकरणों में अनियमितताओं से हानि/वसूली संबंधी प्रकरण	राशि रू 2.00 लाख से रू 5.00 लाख तक	राशि रू 5.00 लाख से अधिक

गम्भीरतम प्रालेखों के मापदण्ड

क्र.सं.	आक्षेप/अनियमितता का विवरण	मापदण्ड	
		''ब'' श्रेणी	''अ'' श्रेणी
9	लीज राशि की बकाया संबंधी प्रकरण अथवा संशोधित लीज डीड निर्धारण का अभाव	बकाया राशि रू 5.00 लाख से रू 15.00 लाख तक	राशि रू 15.00 लाख से अधिक
10	लीजमनी से प्राप्त राशि को नियमानुसार राजकोष में जमा कराने का अभाव	राशि रू 5.00 से रू 10.00 लाख तक	राशि रू 10.00 लाख से अधिक
11	गृहकर/नगरीय कर बकाया संबंधी प्रकरण अथवा पिछले पांच वर्षों से बकाया गृहकर/नगरीय कर निर्धारण संबंधी प्रकरण	बकाया राशि रू 5.00 लाख से रू 15.00 लाख तक	राशि रू 15.00 लाख से अधिक
12	दुकानों/गोदामों के किराया संबंधी मामलों में बकाया/हानि राशि	राशि रू 2.00 लाख से रू 7.00 लाख तक	राशि रू 7.00 लाख से अधिक
13	अग्रिम की भारी बकाया	राशि रू 5.00 लाख से रू 10.00 लाख तक	राशि रू 10.00 लाख से अधिक
14	स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय	राशि रू 3.00 लाख से अधिक(प्रत्येक मद अनुसार)	–
15	विभिन्न योजनाओं हेतु प्राप्त बजट राशि/अनुदान राशि का समय पर उपयोग न कर अवरूद्ध रखने संबंधी मामले	राशि रू 5.00 लाख से अधिक	–
16	शिक्षा उपकर की बकाया/वसूल करने का अभाव	बकाया/वसूली की राशि रू 3.00 लाख से अधिक	–
17	बन्द पड़ी योजनाओं की राशि वापस लौटाना/राजकोष में जमा कराये जाने का अभाव	राशि रू 3.00 लाख से अधिक (प्रत्येक योजना अनुसार)	–
18	योजना में प्राप्त अंशदान से अधिक व्यय के पुनर्भरण का अभाव	राशि रू 3.00 लाख से अधिक (प्रत्येक योजना अनुसार)	–
19	धरोहर/प्रतिभूति राशि संबंधी भारी जमा शेष	राशि रू 10.00 लाख से अधिक	–
20	स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारियों का पदस्थापन संबंधी प्रकरण	समस्त प्रकरण	–
21	अनियमित रूप से राशि विनियोजन करने से ब्याज हानि	ब्याज हानि राशि रू 1.00 लाख एवं अधिक	–
22	संस्था द्वारा पिछले 5 वर्षों से बैंक व पी.डी. खातों की राशि का अंक मिलान नहीं करने संबंधी प्रकरण	समस्त प्रकरण	–
23	संबंधित संस्था द्वारा लेखा पुस्तिकाओं के संधारण नहीं करने संबंधी प्रकरण यथा–सम्पत्ति, गृहकर रजिस्टर, किराया वसूली रजिस्टर इत्यादि	समस्त प्रकरण	–